रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2007/वैशाख 29, 1929

No. 130] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2007/VAISHAKA 29, 1929

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(अनुसूचित जाति विकास प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 मई, 2007

सं. 12025/12/2005-एस.सी.डी.(आर.एल.सैल).—जबकि, संकल्प संख्या 12025/12/2005-एस.सी.डी.(आर.एल.), दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के अनुसार, भारत सरकार में, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को इसके सभी पहलुओं में आरक्षण के उद्देश्य से चार समूहों में उप-श्रेणीबद्धकरण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न मुद्दे की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग गठित करने का संकल्प लिया था और जिसके फलस्वरूप उप-संकल्प संख्या 12025/12/2005–एस. सी. डी. (आर. एल. सैल) दिनांक 15 नवम्बर, 2006, 16 नवम्बर, 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया था;

2. और, जबकि, भारत सरकार, उक्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में कुछ कठिनाई का सामना कर रही है।

3. अब, इसलिए, भारत सरकार ने, उक्त आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति तथा वेतन और उनकी नियुक्ति के दायरे को बढ़ाने के लिए उक्त संकल्प पैराग्रॉफ 3 और 6 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब, उक्त संकल्प के पैरा 3 और 6 को निम्नलिखित संशोधित पैराग्रॉफ में बदल दिया जाए।

"पैराग्रॉफ 3. इसलिए, अब, भारत सरकार ने आरक्षण के उद्देश्य से इसके सभी पहलुओं में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को चार समूहों में उप-श्रेणीबद्ध करने से संबंधित राष्ट्रीय आयोग के गठन का संकल्प लिया और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न मुद्दों की जांच करने के संबंध में इसका अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या इस विषय पर सूझबूझ रखने वाला कोई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है।

पैराग्रॉफ 6. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 19048/7/80/ई IV, दिनांक 8-10-1987 के अनुसरण में यथा-संशोधित उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुर्नियुक्ति की शर्तों का विनियमन जारी रहेगा। तथापि, इस विषय के सूझबूझ वाला कोई प्रसिद्ध व्यक्ति की नियुक्ति उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में होती है तो, भारत सरकार के सचिव को यथा अनुमत्य टेलीफोन की हकदारी, मकान किराया, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त 45,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय को शामिल करके होगा।"

डी. वी. एस. रंगा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Scheduled Castes Development Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th May, 2007

No. 12025/12/2005-SCD(RL Cell).—Whereas *vide* Resolution No. 12025/12/2005-SCD (RL) dated 15th November, 2006 the Government of India had resolved to constitute a National Commission under a retired Judge of the Supreme Court to examine the issue arising out of the Judgment of the Supreme Court relating to sub-categorization of Scheduled Castes in Andhra Pradesh into four groups for the purpose of reservation, in all its

aspects and consequently the said Resolution No. 12025/12/2005-SCD (RL) dated 15th November, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 on 16th November, 2006;

2. And, whereas the Government of India is facing certain difficulty in appointing the Chairperson to the head of the said Commission.

3. Now, therefore, Government of India has decided to amend paragraphs 3 and 6 of the said resolution for enlarging the scope of appointment and pay and entitlements of the Chairperson in the said Commission. Now, following amended paragraphs may be substituted in the para 3 and 6 of the said Resolution.

"Paragraph 3. Now, therefore, the Government of India has resolved to constitute a National Commission and the Chairperson may be from amongst retired Chief Justice of India, Chief Justice of High Court, retired Judge of Supreme Court, retired judge of High Court, or any other person of eminence with understanding of the subject to examine the issue arising out of the Judgment of the Supreme Court relating to sub-categorization of Scheduled Castes in Andhra Pradesh into four groups for the purpose of reservation, in all its aspects.

Paragraph 6. The terms and conditions of re-employed retired Chief Justice of India, Chief Justice of a High Court, retired Judge of Supreme Court, retired Judge of a High Court may continue to be regulated in accordance with Office memorandum No.19048/7/80-E.IV, dated 08-10-1987 of the Ministry of Finance, Department of Expenditure, as amended. However, when any other person of eminence with understanding of the subject is appointed as Chairperson of the said Commission, and all inclusive honorarium of Rs. 45,000/-per month be paid besides entitlement of telephone, house rent, traveling allowance and medical facilities as admissible to a Secretary to Government of India."

D. V. S. RANGA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.